



2026:AHC:177695

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5002 वर्ष 2026

अंकुश सिंह और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: आयुष मिश्रा, प्रभा शंकर मिश्रा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: प्रखर श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. सूची पुनः पुकारी गयी में प्रकरण को सुना गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभा शंकर मिश्रा और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई।
3. शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
4. इस न्यायालय ने 21.05.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभा शंकर मिश्रा उपस्थित हुए और अग्रिम जमानत के आवेदन के साथ आवेदक संख्या 2 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रखर श्रीवास्तव उपस्थित हुए और उन्होंने कल्याण स्टाम्प के बिना वकालतनामा प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और समय मांगा गया है।
5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग करते हैं।
6. वर्तमान आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 160 वर्ष 2026 में धारा 131, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 191(2), 118(2), 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना मोदीनगर, जिला- गाजियाबाद में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
7. आवेदक आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 13.04.2026 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोपी/आवेदकों को झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में आरोप है कि आरोपी/आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों को लाठी और डंडे से पीटा है। शिकायतकर्ता की ओर से तीन लोग घायल हुए हैं। चोट सूचना से पता चलता है कि चोटें मामूली हैं। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी/आवेदक का बैंक्वेट हॉल बुक किया था, जहां कुछ कहासुनी हुई, जिसके कारण लड़ाई हुई। आरोपी/आवेदक संख्या 1 का एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसमें उसे बरी कर दिया गया है। आरोपी/आवेदक भाई-बहन हैं। आरोपी/आवेदक विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होकर विवेचना में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वे अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं।
8. अग्रिम जमानत के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन दूरदर्शी निर्णयों में समाहित किया गया है, जिनमें गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब



राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 और सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1 शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदकों के आवेदन पर विचार करना चाहिए ताकि गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी के आचरण और भागने के जोखिम के संदर्भ में किया जा सके।

9. इस न्यायालय ने दलीलों पर विचार करते हुए, प्रकरण में आपराधिक इतिहास, आरोप की गंभीरता और गिरफ्तारी की आशंका, साथ ही भागने का कम जोखिम और विवेचना एवं मुकदमे में सहयोग करने के आरोपी के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम जमानत देने का उचित निर्णय लिया है।

10. उपर्युक्त प्रकरण में अभियोग के लिए आवेदकों- अंकुश सिंह और आकांक्षा सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, वे इस आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर अवर न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और उन्हें अगली निर्धारित तिथि तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदकों साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदकों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें



न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदकों मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकों संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

(v) आवेदकों को अंतरिम अग्रिम जमानत के मद्देनजर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. इस प्रकरण को 14.08.2026 को सूचीबद्ध करें।

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली तिथि तक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।“

5. आज जब प्रकरण की सुनवाई हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश में दर्ज दलीलों को दोहराया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अंकित सिंह और आशीष सिंह को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या - 5176 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदकों का प्रकरण सह-आरोपियों के प्रकरण के समान है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि आवेदकों का प्रकरण सह-आरोपी के प्रकरण के समान ही है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. जिन तीन लोगों को चोटें लगने का दावा किया गया है, उन्हें ऐसी कोई चोट नहीं लगी है जिसे गंभीर या जानलेवा माना जा सके। आवेदक संख्या 1 का एक आपराधिक अभिलेख है जिसमें उसे बरी कर दिया गया है। आवेदक संख्या 2 एक महिला है और उसका कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। आवेदक संख्या 1 और 2 भाई-बहन हैं और उनका दावा है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी अंकित सिंह और आशीष सिंह को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत पर थे और इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का कोई सबूत नहीं मिला है।

10. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकों को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

11. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

12. आवेदकों- अंकुश सिंह और आकांक्षा सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें प्रकरण अपराध संख्या 160 वर्ष 2026, धारा 131, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 191(2), 118(2), 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में दिनांक 21.5.2026 के आदेश में दिए गए समान नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

21 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)